



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225169
CG-DL-E-15022021-225169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

No. 619]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2021

का.आ. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 अप्रैल, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1272 (अ), तारीख 19 मार्च, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, हिन्दुस्तान और प्रभात खबर में तारीख 28 जून 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए औरंगाबाद जिले में संरचना सहित या उसके बिना अर्जित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	सर्किल का नाम	मौजा का नाम	खाता नं.	प्लॉट / गाटा सं.	रकबा (हे.)	पूर्ण/भाग	भूमि की प्रकृति	भूमि के स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	औरंगाबाद	दोसमा	43	352	0.00470	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
2			43	353	0.02630	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
3			43	353/ 508	0.00687	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
4			45	353/ 509	0.05330	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
5			45	360	0.02306	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
6			49	362	0.08570	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
7			50	372/ 519	0.07560	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
8			55	372	0.08700	भाग	धनहर	रामचन्द्र यादव पिता—स्व० छेदी यादव ग्राम—खरौंटी टोले केशोपुर
						भाग		श्रीमती तेजनी कुंवर पति—स्व० परमेश्वर मिस्त्री ग्राम—बरीमल
9			52	371/ 518	0.33990	भाग	धनहर	बकास्त मोकिरदार
10			27	369	0.08619	भाग	धनहर	श्रीमती मालती देवी पति—रामचन्द्र यादव ग्राम—खरौंटी टोले केशोपुर
11			27	364	0.16180	भाग	धनहर	सरयु पासवान पिता—स्व० मुनारीक पासवान ग्राम—अमरपुरा पश्चिम
						भाग		श्रीमती मालती देवी

क्र. सं.	सर्किल का नाम	मौजा का नाम	खाता नं.	प्लॉट / गाटा सं.	रकबा (हे.)	पूर्ण / भाग	भूमि की प्रकृति	भूमि के स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								पति—रामचन्द्र यादव ग्राम—खरौंटी टोले केशोपुर
12			09	363	0.03601	भाग	धनहर	सरयु पासवान पिता—स्व० मुनारीक पासवान ग्राम—अमरपुरा पश्चिम

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2119]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAY**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2021

S.O. 673(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 1272(E), dated the 19th March, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd April, 2020 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Aurangabad in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspaper namely, Hindustan and Prabhat Khabar dated the 28th June, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same has been considered by the competent authority, accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Aurangabad in the State of Bihar.

S.No.	Circle Name	Mouza Name	Khata No.	Plot No.	Area in (Ha)	Full/ Part	Nature of Land	Name of Land Owner
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aurangabad	Doshma	43	352	0.00470	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
2			43	353	0.02630	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
3			43	353/ 508	0.00687	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
4			45	353/ 509	0.05330	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
5			45	360	0.02306	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
6			49	362	0.08570	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
7			50	372/ 519	0.07560	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
8			55	372	0.08700	Part	Dhanhar	Ramchandra Yadav S/o Late Chhedi Yadav Vill- Kharoti Tole Kesopur.
Dhanhar							Shrimati Tejan Kunwar W/o Late Premeswar Mistri Vill- Barimal.	
9			52	371/ 518	0.33990	Part	Dhanhar	Bakast Mokirdar.
10			27	369	0.08619	Part	Dhanhar	Shrimati Malti Devi W/o Ramchandra Yadav Vill- Kharoti Tole Kesopur.
11			27	364	0.16180	Part	Dhanhar	Saryu Paswan S/o Late Munarik Paswan Vill- Amarpura West.
							Dhanhar	Shrimati Malti Devi W/o Ramchandra Yadav Vill- Kharoti Tole Kesopur.
12			09	363	0.03601	Part	Dhanhar	Saryu Paswan S/o Late Munarik Paswan Vill- Amarpura West.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2119]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)